फर्द अहकाम

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

### **सुधा पारीक बनाम राजेन्द्र वगै0**

किस्म मुकदमा : **दावा** मु0नं0 211/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.04.2022 | पत्रावली पेश । वकील उभयपक्ष उपस्थित आए। पत्रावली में उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर पेश किए गए। वकील उभयपक्ष की बहस कुर्रेजात प्रस्ताव सुनी गई। कुर्रेजात प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दीयात का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। कुर्रेजात का अवलोकन करने से अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग होंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय (दौसा) | |
| 19/1/23 | उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा निर्णय की पालना हेतु पत्रांक कु0आ0/2023/39 दिनांक 18.01.23 पेश किए जाने पर पत्रावली तलब की गई। पत्रांक के मुताबिक उक्त पत्रांक कुर्रेजात प्रस्ताव में ख0नं0 382 रकबा 0.07 हे0 के दो टुकड़े किए गए हैं, 382/1 रकबा 0.08 हे0 एवं 382/2 रकबा 0.05 हे0 जो कि उक्त दोनों रकबों का कुल कुल रकबे से अधिक हो गया। इसलिए ख0नं0 382/1 का रकबा 0.02 हे0 शुद्ध किए जाने बाबत निवेदन किया गया।<br>अतः उप तहसीलदार सिकन्दरा की रिपोर्ट के आधार पर ख0नं0 382/1 का रकबा 0.02 हे0 दर्ज करते हुए निर्णय की पालना करने के आदेश उप तहसीलदार सिकन्दरा को दिए जाते हैं।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय (दौसा) | 152 CPC के तहत प्रस्तुत [illegible] के अनुसार |